संख्या: डब्ल्यू-11013/16/2013-एनबीए

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान प्रभाग

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली-110003

दिनांक 11 अप्रैल, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

प्रभारी निर्मल भारत अभियान (एनबीए)

सभी राज्य

विषय: एनबीए-एमआईएस में रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

1. भारत सरकार द्वारा राज्यों तथा जिलों में कार्यक्रम के वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन की मॉनिटरिंग के लिए एनबीए मॉनिटरिंग प्रणाली को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। तथापि, पिछले वर्ष राज्यों द्वारा की गई रिपोर्टिंग के अनुभव से प्रणाली में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि विभिन्न स्तरों (ब्लॉक,जिला, राज्य) पर अधिकारियों की जिम्मेदारी पता लग सके; रिपोर्टिंग की समय-सीमा में सुधार हो तथा रिपोर्ट किए गए आँकड़ों की शुद्धता बेहतर हो सके।
2. इसे ध्यान में रखते हुए वास्तविक और वित्तीय एमपीआरएस दोनों के लिए ऑनलाइन आईएमआईएस की रिपोर्टिंग प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं।
3. अप्रैल, 2014 (मई, 2014 में रिपोर्ट किए जाने हेतू) से आगे प्रत्येक जिले में एनबीए के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टें (एमपीआर) ग्राम पंचायत स्तर की एंट्री तथा बाद में जिला और राज्य स्तर पर उनके ऑनलाइन अनुमोदन द्वारा जेनरेट की जाएँगी। यह अनुमोदन अनिवार्य होंगे अथार्त जिला एमपीआर प्रगति को दोनों स्तरों पर डाटा के अनुमोदन के पश्चात् ही रिपोर्टों में ऑनलाइन देखा जा सकता है।

   ऑनलाइन प्रणाली में उचित रूप से सॉफ्टवेयर संशोधन कर दिए गए हैं।

4. इसके अलावा जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि अब एनबीए निधियाँ राज्य स्तर को इस निर्देश के साथ जारी की जा रही है कि आगे आबंटन और रिलीज राज्यों द्वारा जिलों को किया जाए।

   दिनांक 1-04-2014 से, एमआईएस को संशोधित किया गया है और राज्यों को जारी की गई निधियाँ केंद्रीय स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जाएँगी। यह, राज्यों को जिन्हें व्यय करने के लिए जिलों/राज्य एजेंसियों को आगे आबंटन को रिलीज किया जाना है अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर जिलों और अन्य एजेंसियों को (यदि अपेक्षित हो) जारी की गई निधियाँ दर्ज करने की व्यवस्था की गई है, को ऑनलाइन देखा जा सकेगा।

5. उपर्युक्त दोनों संशोधनों के निम्नलिखित नए मॉडयूल को ऑनलाइन डाला गया है।
   i. **निधि आबंटन मॉडयूल**- जिलों को निधियों का आबंटन
   ii. **निधि जारी करना मॉडयूल**- राज्यों द्वारा जिला को और आगे जिलों द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी को निधियाँ जारी करना
   iii. ग्राम पंचायत स्तर पर **व्यय की रिपोर्टिंग**
   iv. ग्राम पंचायत स्तर पर **वास्तविक प्रगति रिपोर्टिंग**
   v. **जिला एवं राज्य अनुमोदन** प्रपत्र

6. इन परिवर्तनों से राज्य एनबीए- एमआईएस कार्मिकों को अवगत कराने के लिए राज्य एमआईएस नॉडल अधिकारियों (+1 अतिरिक्त स्टॉफ) अथार्त प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्तियों को 1 एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 और 25 अप्रैल, 2014 को बैठक कक्ष, 12वाँ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र के दौरान प्रपत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह आशा की जाती है कि जिन 2 व्यक्तियों को नई दिल्ली में नई एमआईएस व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी, वे अपने राज्यों में वापस लौटकर राज्य के सभी जिला एमआईएस कार्मिकों के लिए इसी प्रकार की कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे ताकि नई प्रणाली को अच्छे तरीके से अपनाया जा सके और रिपोर्टिंग में विलंब नहीं हो।

क्रम संख्या	राज्य	क्रम संख्या	राज्य
	24-04-2014 (पूर्वाह्न10.00बजे- अपराह्न 5.00 बजे		25-04-2014 (पूर्वाह्न 10.00बजे- अपराह्न 5.00 बजे
1.	मध्य प्रदेश	16.	कर्नाटक
2.	बिहार	17.	केरल
3.	छतीसगढ़	18.	आंध्रप्रदेश
4.	हरियाणा	19.	गोवा
5.	हिमाचल प्रदेश	20.	ओडिशा
6.	जम्मू एवं कश्मीर	21.	पुदुचेरी
7.	झारखंड	22.	तमिलनाडु
8.	पंजाब	23.	मिजोरम
9.	राजस्थान	24.	नागालैंड
10.	उत्तर प्रदेश	25.	सिक्किम
11.	उत्तराखंड	26.	त्रिपुरा
12.	महाराष्ट्र	27.	अरूणाचल प्रदेश
13.	पश्चिम बंगाल	28.	असम
14.	गुजरात	29.	मणिपुर
15.	दादरा एवं नागर हवेली	30.	मेघालय

7. अनुरोध है कि संबंधित कार्मिकों को राज्य के लिए निर्धारित की गई तारिख पर प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने हेतू निदेश दें।

सादर,

(सुजॉय मजूमदार)
निदेशक (एनबीए)

प्रतिलिपि: राज्य एनबीए समन्वयकर्ता

श्री डी.सी. मिश्रा, डीडीजी, एनआईसी

तकनीकी निदेशक, एनआईसी, इस पत्र को पयेजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतू